भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2422

दिनांकः 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मंच

2422. श्री विजय कुमार दूबेः
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय निर्यातकों और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न हितधारकों से जोड़ने के लिए कोई सुविधा मंच बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) एवं (ख): जी हां, सरकार ने भारतीय निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और उद्यमियों को विदेशों में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य सहयोगी सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए व्यापार से जोड़ने वाले ई–प्लेटफॉर्म के निर्माण की शुरुआत की है। यह प्लेटफॉर्म विश्व के विभिन्न भागों में होने वाले व्यापारिक आयोजनों, भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से मिलने वाले लाभों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी जानकारी और आंकड़े प्रदान करेगा।

(ग) मंत्रालय द्वारा भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण निम्नानुसार हैः

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी दिनांक 31.08.2024 तक 2500 करोड़ रु. के अतिरिक्त आवंटन के साथ बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआइ) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है। आरओडीटीईपी वर्तमान में एसईजेड इकाइयों/ईओयू और अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों से निर्यात के लिए भी उपलब्ध है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्‌गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसे नया रूप दिया जाएगा और ट्रेड कनेक्ट ईप्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/ विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रुप में लॉन्च किया गया है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(ix) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डो/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ नियमित रुप से निर्यात निष्पादन की निगरानी और समय–समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(x) भारतीय निर्यात के लिए नए बाज़ार खोलने हेतु प्रमुख सहायोगी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****